



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938

No. 398]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

फा.सं. आई.डब्ल्यू.टी.-11011/26/2016-आई.डब्ल्यू.टी.- प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ गठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) (संशोधन) विनियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के उपविनियम (1) में, -

(i) खंड (ग) में, "7 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "6 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा;

(ii) खंड (घ) में, "10 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "8 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा;

(iii) खंड (ङ) में, "10 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "8 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा;

3. मूल विनियम के विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. राष्ट्रीय जलमार्ग में या उसके आसपास किसी संरचना का सन्निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अभिकरण या संगठन, इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप में आवेदन करके प्राधिकरण से अनापत्ति अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यदि प्राधिकरण से इस संबंध में, प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो अभिकरण या संगठन, इन विनियमों के अधीन आवेदन में यथा प्रस्तावित संरचना का सन्निर्माण प्रारंभ कर सकेगा।"

4. मूल विनियम में, उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप"

प्राधिकरण से संरचना हेतु अनापत्ति प्राप्त करने का प्रारूप

1. प्रस्तावित संरचना का स्थान :
2. राष्ट्रीय जलमार्ग :
3. अधिसूचित वर्ग :
4. संरचना के प्रकार :
5. स्तंभों के बीच क्षैतिज निकासी :
6. ऊर्ध्वाकार निकासी :
(नौचालन संबंधी उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर)
7. निकटतम विद्यमान संरचना से दूरी, :
यदि कोई हो
8. यदि ऐसा है तो क्या स्तंभ एक सीधे :
में है अथवा नहीं
9. प्रवाह की दिशा के अनुरूप संरचना :
की निर्यक्तता
10. सन्निर्माण की प्रस्तावित अवधि :

(इस प्रारूप के साथ क्षैतिज निकासी, ऊर्ध्वाकार निकासी और स्थल मानचित्र को स्पष्टतः इंगित करने वाले आवश्यक साधारण ठहराव का खाका प्रस्तुत करें)

घोषणा

..... (अभिकरण/संगठन का नाम) की ओर से मैं यह वचन देता हूँ कि उपर्युक्त उल्लिखित संरचना का सन्निर्माण प्राधिकरण से आवश्यक अनापत्ति मिलने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाएगा और यदि पैंतालीस दिन के भीतर कोई अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सन्निर्माण भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1985 (1985 का 82) और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम :

पदनाम :

तारीख :

कार्यालय मुहर

अभिस्वीकृति

..... (यहाँ सन्निर्माण के व्यौरे दें) के लिए आवेदन सं. (तारीख)
प्राप्त किया।

(हस्ताक्षर)

(प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

त. साई अमूथा देवी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./291 (374)]

टिप्पणी : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, तारीख 20 जनवरी, 2007 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SHIPPING

(INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

F. No. IWT-11011/26/2016-IWT.— In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (g) of sub-section (2) of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations 2006, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) (Amendment) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006, hereinafter referred to as principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (i),-

(i) In clause (c), for the figure and word "7 meter" at both places where they occur the figure and word "6 meter" shall be substituted;

(ii) In clause (d), for the figure and word "10 meter" at both places where they occur the figure and word "8 meter" shall be substituted;

(iii) In clause (e), for the figure and word "10 meter" the figure and word "8 meter" shall be substituted;

3. In the principal regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-

"6. Before start of construction of any structure in or across a national waterway, the concerned agency or organization shall obtain clearance from the Authority by applying in the form annexed to these regulations:

Provided that, if no communication in this respect is received from the Authority, within forty five days from the date of receipt of the application by the Authority,

the agency or the organization may proceed with the construction of the structure as proposed in the application under these regulations”.

4. In the principal regulations, for the Annex, the following shall be substituted, namely:-

FORM

FORM FOR GETTING CLEARANCE FOR STRUCTURES FROM AUTHORITY

1. Location of the proposed structure :
2. National Waterway :
3. Notified Class :
4. Type of structure :
5. Horizontal clearance between piers :
6. Vertical clearance
(above Navigational High Flood Level) :
7. Distance from the nearest
existing structure, if any, :
8. If so, whether the alignment of
Piers is in the same line or not? :
9. Obliquity of the structure with respect
to direction of flow :
10. Proposed period of construction :

(Necessary general arrangement drawing clearly indicating horizontal clearance, vertical clearance and location map to be submitted with this form)

DECLARATION

1. On behalf of (Name of agency/organization) I do hereby undertake that the construction of the above mentioned structure will commence only after obtaining necessary clearance from the Authority and if no clearance is received with 45 days from the Authority, the construction will be carried out in conformity with the provisions contained in the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) and the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006.

(Signature)

Name of the Officer :

Designation :

Office seal

Date :